"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 270]   रायपुर, सोमवार, दिनांक 23 जुलाई 2018 — श्रावण 1, शक 1940

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4–45/2015/56/इ.सू.प्रौ./तीन. — छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014–19 एवं उसके संशोधनों का प्रकाशन छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में क्रमशः क्रमांक 157 दिनांक 2 मार्च 2015, क्रमांक 44 दिनांक 5 फरवरी 2016 एवं 42 दिनांक 20 अक्टूबर 2017 में किया गया है। इस नीति में निम्नानुसार प्रोत्साहन स्वीकृत किये जाते है–

1. उपरोक्त नीति में नीचे दर्शाई कंडिकाओं में कॉलम क्रमांक 3 के स्थान पर कॉलम क्रमांक 4 के प्रावधान लागू किये जाते है–

कंडिका क्रमांक	प्रोत्साहन	वर्तमान प्रावधान	संशोधन/ संवर्धित प्रावधान
1	2	3	4
6.1	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	राज्य में इकाई की स्थापना पर भूमि की लागत को छोड़कर किये गये स्थायी पूंजी निवेश पर निम्नानुसार अनुदान देय होगा– (1) प्रथम रु. 10 करोड़ के निवेश पर 50 प्रतिशत के समतुल्य राशि, अधिकतम रूपये 1.5 करोड़ प्रति इकाई देय होगी। (2) रु. 10 करोड़ से रु. 100 करोड़ तक के निवेश पर, प्रत्येक रु. 10 करोड़ पर 15 प्रतिशत के समतुल्य राशि, अधिकतम रूपये 15 करोड़ प्रति इकाई देय होगी। (3) रु. 100 करोड़ से अधिक के निवेश पर अधिकतम 15 करोड़ प्रति इकाई देय होगी, इससे अधिक के निवेश पर कंडिका क्रमांक 7.4 अनुसार प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।	राज्य में इकाई की स्थापना पर भूमि की लागत को छोड़कर किये गये स्थायी पूंजी निवेश पर निम्नानुसार अनुदान देय होगा– (1) रु. 10 करोड़ के निवेश पर 50 प्रतिशत के समतुल्य राशि, अधिकतम रूपये 1.50 करोड़ प्रति इकाई देय होगी। (2) रु. 10 करोड़ से अधिक एवं रु. 100 करोड़ तक के निवेश पर, प्रत्येक रु. 10 करोड़ पर 15 प्रतिशत के समतुल्य राशि, अधिकतम रूपये 15 करोड़ प्रति इकाई देय होगी। (3) रु. 100 करोड़ से अधिक के निवेश पर अधिकतम 15 करोड़ प्रति इकाई देय होगी। (4) रु. 200 करोड़ तक के स्थायी पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत तक अनुदान देय होगा।

2. उपरोक्त नीति में उल्लिखित कंडिका क्रमांक 6.15 की निरन्तरता में नीचे दर्शाई कंडिकाओं में उल्लिखित प्रावधान लागू किये जाते है–

नवीन कंडिका क्रमांक	प्रोत्साहन का विषय	प्रदत्त प्रोत्साहन
6.16	इकाईयों को किराये एवं भूमि प्रीमियर दोनों पर प्रोत्साहन।	ऐसी इकाईयां जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिसूचित क्षेत्र में भूखंड हेतु आवेदन दिया है, किन्तु वाणिज्यिक उत्पादन शीध्र प्रारंभ करने के लिए किराये पर भवन लिया है, उन्हें भूमि के प्रीमियम तथा किराये की राशि दोनों पर प्रोत्साहन दिया जाए। इकाई को उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से तीन वर्ष तक या आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, की अवधि में भुगतान किये गये किराए की राशि में से 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति की जाए।
6.17	बैंडविड्थ चार्जेस, पी.आर.आई एवं लीज लाईन पर प्रोत्साहन	डेटा सेंटर एवं क्लाऊड सर्विस प्रोवाईडर इकाई को छोड़कर अन्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं की राज्य में स्थापित इकाईयों द्वारा बैंडविड्थ चार्जेस, पी.आर. आई एवं लीज लाईन पर किये गये भुगतान की 10 प्रतिशत, अधिकतम रु. 25 लाख (रु. पच्चीस लाख) प्रतिवर्ष की प्रतिपूर्ति, उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से तीन वर्ष तक की जाए।
6.18	परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति	नया रायपुर में स्थापित इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम 2 वर्ष तक भुगतान किये गये वास्तविक परिवहन व्यय में 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति की जाए।

3. उपरोक्त कंडिकाओं के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 157 दिनांक 2 मार्च 2015, क्रमांक 44 दिनांक 5 फरवरी 2016 एवं 42 दिनांक 20 अक्टूबर, 2017 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014–19 की अन्य कंडिकाएं अपरिवर्तनीय रहेगी।

4. उपरोक्त नीति के क्रियान्वयन में कठिनाईयों को दूर करने के लिये स्पष्टीकरण एवं निर्देश जारी करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को प्राधिकृत किया जाता है।

5. उपरोक्त प्रोत्साहन/छूट/अनुदान की प्रदायगी अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रदान की जायेगी।

6. इस नीति के अंतर्गत विद्यमान उत्पादनरत इकाईयों के विस्तारीकरण पर उपरोक्त प्रोत्साहन/छूट/अनुदान की पात्रता होगी।

हस्ता./–
(संजय शुक्ला)
सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.